(13)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 126/2012 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा	1 श्री जानकीलाल पिता कन्हैयालाल पाराशर निवासी भगवानपुरा मृतक के बजाय 1/1 श्री गणपत पिता जानकीलाल पाराशर 1/2 श्री सत्यनारायण पिता जानकीलाल पाराशर 1/3 गायत्री पुत्री जानकीलाल पाराशर 1/4 श्रीमती जमनाबाई पत्नी जानकीलाल पाराशर निवासीयान भगवानपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
–प्रार्थी	–विपक्षी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –
1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.07.2019

यह प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश क्रमांक/रेफरेन्स/एलआर/3641/07/भीलवाडा दिनांक 14.09.2012 से प्राप्त होकर निर्णय दिनांक 14.09.2012 से रेफरेन्स आंशिक स्वीकार कर इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण में समस्त राजस्व अभिलेख का विधिक् परीक्षण करने के उपरांत विधि के परिपेक्ष्य में अपनी अभिशंषा के साथ प्रकरण भिजवाया जावे।

रेफरेंस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, माण्डल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल में स्थित गत बंदोबस्त आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेख में श्री जगमोहन स्थानदेह के नाम अभिलिखित थी, जो जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 से स्पष्ट हैं। उक्त आराजी भू भाग नवीन बन्दोबस्त के दौरान नवीन खसरा नंबर 2705, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782 किता 10 रकबा 10.18 बीघा कायम करते हुए विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित कर दिया गया , जबकि मंदिर/मूर्ति को नियमों में शाश्वत नाबालिग माना गया हैं। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व हैं। नवीन बन्दोबस्त के दौरान कायम किये गये आराजी खसरा नम्बर के बारे में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उनके कार्यकाल के समय में तैयार किये गये खसरा मिलान की प्रति से स्पष्ट हैं कि गत खसरा नम्बर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 2705, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782 किता 10 रकबा 10.18 बीघा कायम किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार कराया जाकर विवादित आराजी भू भाग पुनः श्री जगमोहन स्थानदेह के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

नाम अभिलिखित कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रस्तुत कराया जावे ।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 14.09.2012 में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.03.2007 की अभिशंषा में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि संवत् 2012 से कब तक श्री जगमोहनजी स्थान देह के नाम राजस्व रिकार्ड में रहा तथा कौनसी जमाबन्दी में कन्हैयालाल का नाम खातेदार के रूप में आ गया हैं तथा उसका क्या आधार रहा हैं। रेफरेन्स के साथ संवत् 2012 से संवत् 2024 के बीच का कोई राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। रेफरेन्स अपूर्ण हैं तथा दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 05.11.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की ओर से आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.03.2017 को प्रार्थी पेरोकार की बहस सुनी गयी एवं प्रकरण में कायम मुकाम निर्धारित किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के संबंध में दस्तावेज पेश किये गये। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही बहस में भाग लिया। प्रार्थी पेरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कराने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिसके उपरान्त पाया गया कि–

1. जमाबंदी संवत् 2009 से 2012 अनुसार ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल के साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्यालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
2. इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 अनुसार ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल के साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्हैयालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
3. इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 अनुसार ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल के साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्हैयालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
4. इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 अनुसार ग्राम भगवानपुरा तहसील माण्डल के साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्हैयालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
5. नामान्तरकरण सं. 358 दिनांक 23.04.1974 से कन्हैयालाल पुत्र फुलचन्द सेवग सा. भगवानपुरा से मन्दिर श्री जगमोहन सा.दे. पुजारी कन्हैयालाल पुत्र फुलचन्द के नाम

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

दर्ज के आदेश हुये। (15)

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री जगमोहन जी स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि जमाबन्दी संवत् 2009–2012 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्यालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

अतः प्रस्तुत रेफरेन्स राज0 भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अर्न्तगत प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त वर्णित साबिक आराजी नंबर 1932, 1851, 1849, 1850, 1848, 1847, 1846, 1835 किता 8 रकबा 12.05 बीघा भूमि श्री जगमोहन जी स्थानदेह पुजारी कन्यालाल वल्द फूलचन्द सेवग सा. देह के नाम अभिलिखित करवाई जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)